प्रेस नोट जनपद खीरी

दिनाँक 27.08.2023

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में जनपद में अपराध नियंत्रण व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के दौरान विगत 24 घंटे में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा निम्न कार्यवाही की गयीः-

थाना पसगवां पुलिस द्वारा, नाबालिग से छेड़छाड़ के अभियुक्त नन्हें पुत्र रामदास को गिरफ्तार किया गया

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री गणेश प्रसाद साहा के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारंटियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत दिनांक 26.08.2023 को थाना पसगवां पुलिस द्वारा मु०अ०सं 290/23 धारा 354 भादवि व 9(m)/10 पॉक्सो एक्ट से संबंधित अभियुक्त नन्हें पुत्र रामदास निवासी ग्राम झाराखेमपुर थाना मोहम्मदी जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही करते हुए अभि0 को मा0 न्यायालय के समक्ष भेजा गया है। उल्लेखनीय है कि दिनांक 26.08.2023 को अभियुक्त द्वारा ग्राम दौदापुर मजरा घाघपुर थाना पसगवां निवासी एक 05 वर्षीय बच्ची के साथ छेड़छाड़ की गई थी जिसे वादिनी, वादिनी के पति व स्थानीय लोगों द्वारा पकड़ कर थाने लाया गया था। जिसके बाद अभियुक्त के विरुद्ध मुकदमा उपरोक्त पंजीकृत करके अभियुक्त को नियमानुसार गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

नन्हें पुत्र रामदास निवासी ग्राम झाराखेमपुर थाना मोहम्मदी जनपद खीरी

<u>थाना फूलबेहड़ पुलिस द्वारा, 900 ग्राम अवैध गांजा बरामद कर अभियुक्त जितेन्द्र उर्फ छोटू पुत्र स्व0 बदलू केवट को गिरफ्तार किया गया</u>

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री गणेश प्रसाद साहा के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व अवैध मादक पदार्थों के निर्माण/बिक्री/परिवहन पर अंकुश लगाने हेतु चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत आज दिनांक 27.08.2023 को थाना फूलबेहड़ पुलिस द्वारा 900 ग्राम अवैध गांजा बरामद कर अभियुक्त जितेन्द्र उर्फ छोटू पुत्र स्व0 बदलू केवट निवासी ग्राम सैदापुर थाना फूलबेहड़ जनपद खीरी को अमृत सरोवर तालाब के पास वहद ग्राम सैदापुर से गिरफ्तार किया गया। जिसके संबंध में थाना फूलबेहड़ पर मु0अ0सं0 435/2023 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत करके अभियुक्त का चालान मा॰ न्यायालय भेजा गया।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण</u>

1.जितेन्द्र उर्फ छोटू पुत्र स्व0 बदलू केवट निवासी ग्राम सैदापुर थाना फूलबेहड़ जनपद खीरी

<u>बरामदगी का विवरण</u>

900 ग्राम अवैध गांजा

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम</u>

1.उ0नि0 सुरेश चन्द्र, थाना फूलबेहड़ जनपद खीरी
2.हे0का0 रामराज यादव, थाना फूलबेहड़ जनपद खीरी
3.हे0का0 अखिलेश यादव, थाना फूलबेहड़ जनपद खीरी

<u>थाना मितौली पुलिस द्वारा, नाबालिग से दुष्कर्म के वांछित अभियुक्त आलोक मिश्रा पुत्र कमलेश मिश्रा को गिरफ्तार किया गया</u>

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री गणेश प्रसाद साहा के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारंटियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत दिनांक 27.08.2023 को थाना मितौली पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 368/23 धारा 376/313/506 भादवि व 5जे(2)/6 पाक्सो एक्ट के वांछित अभियुक्त आलोक मिश्रा पुत्र कमलेश मिश्रा निवासी दानपुर थाना मितौली खीरी को भीखमपुर चौराहे से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही करते हुए अभि0 को मा0 न्यायालय के समक्ष भेजा गया है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-</u>
आलोक मिश्रा पुत्र कमलेश मिश्रा निवासी दानपुर थाना मितौली खीरी

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-</u>
1.प्रभारी निरीक्षक आलोक कुमार धीमान थाना मितौली
2.का0 ऋषभ सिंह थाना मितौली
3.का0 अरूण कुमार थाना मितौली

थाना मितौली पुलिस द्वारा, अवैध तमंचा व कारतूस बरामद कर अभियुक्त नीरज पुत्र सन्तराम को गिरफ्तार किया गया

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री गणेश प्रसाद साहा के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व अवैध शस्त्रों के निर्माण/बिक्री/परिवहन पर अंकुश लगाने हेतु चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत आज दिनांक 27.08.2023 को थाना मितौली पुलिस द्वारा 01 अदद अवैध तमंचा देशी 12 बोर व 2 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर सहित कस्बा मितौली खीरी के बडागाँव जाने वाले रास्ते पर बार्डर से गिरफ्तार किया गया जिसके सम्बन्ध में थाना मितौली पर मु0अ0सं0 383/23 धारा 3/25 आर्मस एक्ट पंजीकृत करके अभियुक्त का चालान मा० न्यायालय भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण

1.नीरज पुत्र सन्तराम निवासी सेमरावां थाना मितौली खीरी

आपराधिक इतिहास-

1.मु0अ0सं0 130/15 धारा 147/148/149/323/504/506/452/354 भादवि थाना मितौली खीरी
2.मु0अ0सं0 1522/2022 धारा 4/25 आर्मस एक्ट थाना कोतवाली सदर जनपद खीरी
3.मु0अ0सं0 630/2011 धारा 110(जी) थाना मितौली खीरी

बरामदगी का विवरण

01 अदद अवैध तमंचा देशी 12 बोर
02 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

1.उ0नि0 देवकरन शर्मा थाना मितौली
2.का0 कृष्णगिरी थाना मितौली
3.का0 तरूण थाना मितौली

<u>थाना सम्पूर्णानगर पुलिस द्वारा, तस्करी हेतु जा रहे मोटरसाइकिल के पार्ट बरामद करके 03 नफर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया</u>

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री गणेश प्रसाद साहा के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व ऑपरेशन कवच अभियान के अंतर्गत तस्करी पर प्रभावी अंकुश लगाने हेतु चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत आज दिनांक 27.08.2023 को थाना सम्पूर्णानगर पुलिस द्वारा रानीनगर से नई बस्ती जाने वाले मार्ग पर बहद ग्राम रानीनगर से 03 अदद प्लास्टिक की बोरियों में मोटरसाइकिल के पार्ट मय 02 अदद साइकिल के साथ 03 नफर अभियुक्तों 1.गौतम गुप्ता पुत्र विजय कुमार गुप्ता 2.आकाश गुप्ता पुत्र विजय कुमार गुप्ता 3.विकाश गुप्ता पुत्र स्व० राम किशोर गुप्ता निवासीगण ग्राम सिंगाही खुर्द थाना सम्पूर्णानगर जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया जिसके संबंध थाना सम्पूर्णानगर पर मु०अ०सं० 205/23 धारा 411/420/467/468/471 भादवि पंजीकृत करके अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण</u>

1.गौतम गुप्ता पुत्र विजय कुमार गुप्ता निवासी ग्राम सिंगाही खुर्द थाना सम्पूर्णानगर जनपद खीरी
2.आकाश गुप्ता पुत्र विजय कुमार गुप्ता निवासी ग्राम सिंगाही खुर्द थाना सम्पूर्णानगर जनपद खीरी
3.विकाश गुप्ता पुत्र स्व० राम किशोर गुप्ता निवासी ग्राम सिंगाही खुर्द थाना सम्पूर्णानगर जनपद खीरी

<u>बरामदगी का विवरण</u>

03 अदद प्लास्टिक की बोरियों में मोटरसाइकिल के पार्ट मय 02 अदद साइकिल

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम</u>

1.उ0नि0 विशाल सिंह थाना सम्पूर्णानगर
2.का0 सुनील कुमार थाना सम्पूर्णानगर
3.का0 कृष्ण पाल सिंह थाना सम्पूर्णानगर
4.का0 अंचल वर्मा थाना सम्पूर्णानगर
5.का0 रजत यादव थाना सम्पूर्णानगर
6.का0 सुबोध कुमार थाना सम्पूर्णानगर

थाना नीमगांव पुलिस द्वारा, अवैध तमंचा व कारतूस बरामद कर अभियुक्त सुभाष पुत्र रामकिशोर को गिरफ्तार किया गया

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री गणेश प्रसाद साहा के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व अवैध शस्त्रों के निर्माण/बिक्री/परिवहन पर अंकुश लगाने हेतु चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत आज दिनांक 27.08.2023 को थाना नीमगांव पुलिस द्वारा अभियुक्त सुभाष पुत्र रामकिशोर निवासी ग्राम बेलहरी थाना नीमगांव जनपद खीरी को 01 अदद अवैध तमंचा देशी 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर सहित प्रा0 स्कूल बेलहरी के पास से गिरफ्तार किया गया जिसके सम्बन्ध में थाना नीमगांव पर मु0अ0सं0 276/23 धारा 3/25 आर्मस एक्ट पंजीकृत करके अभियुक्त का चालान मा० न्यायालय भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण

सुभाष पुत्र रामकिशोर निवासी ग्राम बेलहरी थाना नीमगांव जनपद खीरी

आपराधिक इतिहास-

1.मु0अ0सं0 115/2022 धारा 392/411 भादवि थाना नीमगांव
2.मु0अ0सं0 122/2022 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना नीमगांव

बरामदगी का विवरण

01 अदद अवैध तमंचा देशी 315 बोर
01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

1. उ0नि0 राजकुमार सरोज, थाना नीमगावं
2. हे0का0 संजय सिंह थाना नीमगांव
3. का0 शोमनाथ कुमार थाना नीमगांव

<u>“मिशन शक्ति” अभियान के अंतर्गत महिलाओं/बालिकाओं की सुरक्षा, जागरुकता एवं सामुदायिक पहुँच हेतु गोष्ठी का आयोजन</u>

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री गणेश प्रसाद साहा के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में “मिशन शक्ति” अभियान के अन्तर्गत महिलाओं/बालिकाओं के विरुद्ध घटित होने वाले अपराधों एवं उनके उत्पीड़न की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में जनपद खीरी के समस्त थानों पर गठित एन्टीरोमियो टीम द्वारा थाना क्षेत्र के विभिन्न ग्रामों/कस्बों/बस अड्डा/सार्वजनिक स्थानों/प्रमुख चौराहों/प्रमुख बाजारों/मन्दिर/शिवालयों/शापिंग मॉल आदि के आस-पास गश्त/चेकिंग करते हुए महिलाओं व बालिकाओं को आत्मसुरक्षा के लिये जागरुक किया जा रहा है तथा उनकी सुरक्षा के सम्बंध में वार्ता कर संदिग्धों की चेकिंग कर आवश्यक हिदायत जा रही है। साथ ही समस्त थानों द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्र अन्तर्गत गांव, कस्बों एवं सार्वजनिक स्थानों, मिशन शक्ति कक्ष पर बालिकाओं/महिलाओं की गोष्ठी करके उच्चाधिकारियों के नम्बर व नारी सुरक्षा/मिशन शक्ति अभियान के तहत विभिन्न हेल्प लाइन नम्बर वीमेन पावर लाइन 1090, महिला हेल्पलाइन 181, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076, पुलिस आपातकालीन सेवा 112, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, स्वास्थ्य सेवा 102, एम्बुलेंस सेवा 108 व साइबर हेलपलाइन 1930 तथा थानों के सीयूजी नम्बर आदि के बारें में विस्तृत जानकारी प्रदान की जा रही है। इस अवसर पर बिना कारण घूमने वाले लड़कों/शोहदों की चेकिंग की जा रही है तथा शपथ पत्र भरवाये जा रहे हैं।

इसी क्रम में दिनांक 27.08.2023 को थाना नीमगांव, महिला थाना, थाना भीरा, थाना खीरी, थाना ईसानगर, थाना गौरीफंटा, थाना फरधान, थाना पढुआ, थाना ईसानगर, थाना मितौली, थाना हैदराबाद, थाना उचौलिया सहित विभिन्न थानों द्वारा क्षेत्र में महिलाओं/बालिकाओं की गोष्ठी करके उन्हें राज्य सरकार द्वारा निर्गत मिशन शक्ति अभियान से संबंधित आदेश-निर्देश से अवगत कराया गया तथा साइबर क्राइम के बारे में जागरूक किया गया। साथ ही विभिन्न हेल्पलाइन नंबर्स एवं जरूरी सूचनाओं, कल्याणकारी योजनाओं एवं सुरक्षा संबंधी जानकारियों सहित बुकलेट/पम्पलेट भी वितरित किया गया।

ए0एच0टी0यू0 खीरी द्वारा कवच योजना के तहत जनपद खीरी के थाना चंदनचौकी क्षेत्र में मानव तस्करी ,बालश्रम, बाल भिक्षावृत्ति ,जन जागरूकता अभियान

आज दिनांक 27.08.2023 को जनपद लखीमपुर खीरी के थाना चंदन चौकी के ग्राम सभा पंचपेडा, बरबटा मे जन जागरूकता अभियान किया गया अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री गणेश प्रसाद साहा के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक/नोडल अधिकारी, श्री नैपाल सिंह के निकट पर्यवेक्षण में ए0एच0टी0यू0 से प्रभारी निरीक्षक श्री जैनेन्द्र कुमार ,मुख्य आरक्षी राजेश कुमार मय ए0एच0टी0यू0, थाना चंदन चौकी से उप निरीक्षक विपिन कुमार, आरक्षी दीपक कुमार की संयुक्त टीम द्वारा ग्राम प्रधान, बी डी सी और ग्राम सभा के सम्मानित व्यक्तियों के साथ मानव तस्करी, बालश्रम, बाल भिक्षावृत्ति ,बालविवाह के विषय मे चर्चा की गई एव जागरूक किया गया।

थाना मोहम्मदी पुलिस द्वारा, अवैध तमंचा-कारतूस बरामद कर अभियुक्त हंसराम को गिरफ्तार किया गया

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री गणेश प्रसाद साहा के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व अवैध शस्त्रों के निर्माण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना मोहम्मदी पुलिस द्वारा अभियुक्त हंसराम निवासी ग्राम राजगढ़ थाना मोहम्मदी जनपद खीरी को 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद कर गिरफ्तार किया गया, जिसके संबंध में थाना मोहम्मदी पर मु0अ0सं0 555/23 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी है।

अवैध शराब के विरूद्ध कार्यवाही; विगत 24 घंटे में 160 लीटर अवैध शराब बरामद कर 12 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री गणेश प्रसाद साहा के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निकट पर्यवेक्षण में जनपद खीरी में अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत विगत 24 घंटों में जनपद खीरी के विभिन्न थानों द्वारा कार्यवाही करते हुए **160 लीटर अवैध कच्ची शराब व 07 शराब भट्ठी** बरामद कर **12 अभियुक्तों** को गिरफ्तार कर आबकारी अधिनियम के अंतर्गत **11 अभियोग** पंजीकृत किए गए।